



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

09 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-26.05.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना बिसवां व महमूदाबाद द्वारा चोरी/नकबजनी/अवैध शराब के कारोबार जैसे अपराध में संलिप्त कुल 09 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी। विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

थाना बिसवां

थाना बिसवां पुलिस द्वारा चोरी/नकबजनी जैसे अपराध में लिप्त 02 अभियुक्तों 1.अनूप कुमार चौहान पुत्र चन्द्रभाल निवासी लोनियनपुरवा थाना रेउसा 2.सुनील चौहैन पुत्र जयकरन निवासी परवतपुर कोडरा थाना तम्बौर सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना बिसवां पर मु0अ0सं0 230/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 230/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर

अभियुक्तों का नाम/पता-

1. अनूप कुमार चौहान पुत्र चन्द्रभाल निवासी लोनियनपुरवा थाना रेउसा सीतापुर
2. सुनील चौहैन पुत्र जयकरन निवासी परवतपुर कोडरा थाना तम्बौर सीतापुर

अभियुक्त अनूप कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 460/21 धारा 379/411 भादवि थाना बिसवां सीतापुर
2. मु0अ0सं0 461/21 धारा 41/411/413 भादवि थाना बिसवां सीतापुर
3. मु0अ0सं0 462/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसवां सीतापुर
4. मु0अ0सं0 230/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर

अभियुक्त सुनील उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 460/21 धारा 379/411 भादवि थाना बिसवां सीतापुर
2. मु0अ0सं0 461/21 धारा 41/411/413 भादवि थाना बिसवां सीतापुर
3. मु0अ0सं0 463/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसवां सीतापुर
4. मु0अ0सं0 230/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर

थाना महमूदाबाद

थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा अवैध तरीके से शराब में मिलावट कर व नकली टैग का प्रयोग जैसे अपराध में लिप्त 07 अभियुक्तों 1.विनलेश कुमार यादव पुत्र शिव सागर यादव निवासी सरफापुर हालपता ग्राम जैनापुर थाना खैराबाद 2.विकाश जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र रोहित उर्फ लल्ला निवासी गायत्रीपुरम शेरापुर थाना महमूदाबाद 3.अवधेश वर्मा पुत्र राम लौटन निवासी दिबियापुर थाना सदरपुर 4.शैलेन्द्र राठौर पुत्र गजराज निवासी रामपुर निजामपुर थाना थाना खैराबाद 5.अंकित राठौर पुत्र गंगाराम राठौर निवासी मधवापुर थाना कमलापुर 6.प्रमोद राठौर पुत्र अमरेश कुमार राठौर निवासी 538क/302 श्रीपुरम त्रिवेणी नगर तृतीय लखनऊ मूल निवासी कमलापुर सीतापुर 7.वीरेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र देवादीन निवासी काजीपुर थाना फतेहपुर बाराबंकी के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना महमूदाबाद पर मु0अ0सं0 219/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 219/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. विनलेश कुमार यादव पुत्र शिव सागर यादव निवासी सरफापुर हालपता ग्राम जैनापुर थाना खैराबाद
2. विकास जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र रोहित उर्फ लल्ला निवासी गायत्रीपुरम शोरापुर थाना महमूदाबाद
3. अवधेश वर्मा पुत्र राम लौटन निवासी दिबियापुर थाना सदरपुर
4. शैलेन्द्र राठौर पुत्र गजराज निवासी रामपुर निजामपुर थाना थाना खैराबाद
5. अंकित राठौर पुत्र गंगाराम राठौर निवासी मधवापुर थाना कमलापुर
6. प्रमोद राठौर पुत्र अमरेश कुमार राठौर निवासी 538क/302 श्रीपुरम त्रिवेणी नगर तृतीय लखनऊ मूल निवासी कमलापुर सीतापुर
7. वीरेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र देवादीन निवासी काजीपुर थाना फतेहपुर बाराबंकी

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0385/21 धारा 255/272/273/420/467/468/471 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम व 51/63 कॉपीराइट अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 219/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना महमूदाबाद सीतापुर